न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 26/2020
GCMS NO. : 2020/00064

–:: प्रार्थी ::–

1. रतनाराम पुत्र समेलराम
   जाति–गुर्जर निवासी राबडियावास
   तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मदनसिंह पुत्र भभूतसिंह
2. सुमेरसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह पुत्र मदनसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 06/07/2020

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री धीरवीरसिंह, श्री राजूनाथ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 24/02/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली में सायल की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 407/1 रकबा 03–11 बीघा, खसरा संख्या 410 रकबा 19–04 बीघा, खसरा संख्या 411 रकबा 08–05 बीघा कुल रकबा 31 बीघा आई हुई है। जिसमें सायल व उसके परिवार का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में गवार की फसल बाई हुई है। गैरसायल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 205, 228/4, 229, 409 सायल के पास ही सरहद मौजा बलाडा में आई हुई है व सायल के पडौसी है जो आये दिन लडाई झगडा करते है तथा गांवाई सरहद के मुड्डे को जानबूझकर इधर उधर बिखेरते रहते है। सायल ने कई बार ट्रेस नक्शा मंगवाकर बता दिया लेकिन गैरसायलान जबरन जानबूझकर सायल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है व गांवाई सरहद को तोडकर सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में दखलन्दाजी कर रहे है। दिनांक 30/06/2020 को रात्रि में गैरसायलान ने मुड्डे रेत से डम्पर भरकर सायल की कृषि भूमि में डाल दिये। सायल ने मना किया तो गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी दी कि रात बिरात मौका देखकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे व बेदखल कर देंगे। इसलिए गैरसायलान को उक्त गैरकानूनी कार्य करने से रोकने हेतु उक्त प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व दस्तावेजात पेश कर नि[illegible] कि सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पा[illegible] खसरा संख्या 407/1,410,411 रकबा 31 बीघा कृषि भूमि जो [illegible] अनुसार सा[illegible] काबिज है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपयोग–उपभोग करता आ रहा है में किसी प्रकार की रेत आदि डालने व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने एवं सायल को उसके कब्जे से बेदखल करने से गैरसायलान उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 व 2 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित तथ्यों की जानकारी गैरसायल को नहीं होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य कि सायल की कृषि भूमि सरहद मौजा राबडियावास में आई हुई है, सायल स्वयं साबित करें। गैरसायल संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 205, 228/4, 229 व 409 सरहद मौजा बलाडा में स्थित है लेकिन यह कथन असत्य है कि गैरसायल आये दिन सायल से लडाई–झगडा करते रहते है। जबकि सायल गैरसायल को आये दिन जान से मारने की धमकी देते है और आये दिन तंग परेशान करते है। गैरसायल संख्या 01 उम्र दराज व्यक्ति है जो कि बिना सहारे चल फिर भी नहीं सकता एवं गैरसायल संख्या 02 गॉव का मौजिज व्यक्ति है इस हेतु सायल द्वारा किया लडाई झगडा व मुड्डे को जानबूझकर इधर उधर बिखेरने का कथन पूर्णत मिथ्या, साक्ष्यहीन व मनगढन्त है जो कि अस्वीकार है। ना ही गांवाई सरहद को गैरसायलान ने अतिक्रमण किया है ना ही सायल की कृषि भूमि में दखलन्दाजी की है। इस हेतु सायल द्वारा किया गया यह कथन अस्वीकार है। सायल द्वारा किया गया कथन कि गैरसायल द्वारा सायल को ऐलानिया धमकी दी गई पूर्णतः ही असत्य व अस्वीकार है। सायल ने स्थगन प्राप्त करने के लिए गलत तथ्यों पर आधारित यह प्रा.पत्र न्यायालय में पेश किया है जो वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। तथ्यहीन मिथ्या व मनगठंत तथ्यों के साथ सायल ने उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया है जिसे श्रीमान् खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी वादग्रस्त आराजी में दर्ज अनेक सह–खातेदारों में से एक सह–खातेदार है जिसके द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत [illegible] चूंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह–खातेदारी की शामलाती आराजी है। [illegible] का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदारी की अविभाजित आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा किस दिशा व भू–भाग पर स्थित है यह निश्चित किया जाना संभंव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है? अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह–खातेदारी आराजी है। अविभाजित सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है अतः विभाजन से पूर्व किसी विशिष्ट भू–भाग पर केवल एक सह–खातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। जबकि प्रार्थी द्वारा अन्य सह–खातेदारों को पक्षकार भी संयोजित नहीं किया है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुए है। प्रार्थना–पत्र के अवलोकन मात्र से विवाद का मुख्य बिंदू सीमा विवाद प्रतीत होता है जिसके लिए खातेदार सक्षम अधिकारी के समक्ष विद्वित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। साथ ही अविभाजित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा किस भू–भाग पर है जब यह ही निश्चित किया जाना संभव नहीं है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति किस प्रकार हो रही है, यह साबित नहीं होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 24/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:27 IST
Reason: SelfAttested